

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवा) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणालियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 20 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० एफ० सं० 3-24/2012-बीएण्डसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमानता (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० 311-33/2014-व्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library. See No. LT 60/16/14]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 के अंतर्गत परिषद निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 477(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 61/16/14]

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचन का संवातन (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 62/16/14]

(4) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 95 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 307 (अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 152 देशों को उक्त अधिनियम के उपबंध के प्रयोजनार्थ अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से अभिसमय देशों के रूप में घोषित किया गया है।

(दो) का०आ० 2754(अ) जो 8 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 152 देशों को उक्त अधिनियम के उपबंध के प्रयोजनार्थ अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से अभिसमय देशों के रूप में घोषित किया गया है।

[Placed in Library. See No. LT 63/16/14]

(5) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस सहित अत्यंत न्यून पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस अथवा उपकरण का उपयोग (अनुज्ञप्ति उपेक्षा से छूट) नियम, 2014, जो 11 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 83(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library. See No. LT 64/16/14]

खान मंत्री, इस्पात मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014- 2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library. See No. LT 65/16/14]

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library. See No. LT 66/16/14]

(2) शिक्षा अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 912(अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित वेयरमेन, उप-वेयरमेन और सदस्यों से मिलकर बनी केन्द्रीय शिक्षता परिषद का पुनर्गठन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किए जाने के बारे में है।

(दो) शिक्षता (संशोधन) नियम, 2014 जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा०का०नि० 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का०आ० 159 (अ) जो 6 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तक्षद्वीप की राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के स्नातकों को प्रशिक्षण की अवधि में रियायत दिए जाने के बारे में है।

[Placed in Library. See No. LT 67/16/14]

SHRI E. AHAMED (MALAPPURAM): What is happening in Gaza Strip is very pathetic. ...(*Interruptions*) It is a violation. ...(*Interruptions*) A country like India cannot just remain insensitive. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप किस रूल के तहत यह मामला उठा रहे हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदया, मद संख्या दो के बारे में केवल आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपके सामने दो बिंदु रखना चाहता हूँ ... (व्यवधान) और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैडम, अगर आप देखें कि मद संख्या चार के दो में जो सूचना 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित हुई, उस सूचना को यहां तक आने में करीब-करीब तीन साल लग गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, कई ऐसे मद और भी हैं, मैं यह चाहता हूँ कि सरकार बदल गयी, संस्कृति बदलनी चाहिए। Luckily we have got a very dynamic national leader also. आज यह संदेश जाना चाहिए कि यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, यहां तीन साल कागज को कार्यालय से लेकर पार्लियामेंट तक आने में नहीं लगेंगे, ... (व्यवधान) इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस संबंध में आपका निर्देश हो जाए और जिन अधिकारियों ने तीन साल तक इस कागज को दबाकर रखा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri E. Ahamed, this is not the way to raise issues.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I do not understand. Is there any point of order or anything else regarding laying of papers? Papers are being laid. What do you want to say in-between?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदया, मैं अपनी सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से उल्लिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ :-

(1) प्रारूप अधिसूचना सं0एफ0सं0 1/2/2014-सीएल-I जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, ऐसे निकाय जिसे उपर्युक्त धारा 8 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है, लागू नहीं होंगे अथवा अधिसूचना के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन के साथ पर लागू होंगे।

[Placed in Library. See No. LT 68/16/14]

(2) प्रारूप अधिसूचना सं0एफ0सं0 1/1/2014-सीएल- V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, निजी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू होंगे।

[Placed in Library. See No. LT 69/16/14]

(3) प्रारूप अधिसूचना सं0एफ0सं0 1/2/2014-सीएल- V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, जो अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू नहीं होंगे।

[Placed in Library. See No. LT 70/16/14]

(4) प्रारूप अधिसूचना सं0एफ0सं0 2/11/2014-सीएल- V जिसमें निदेश दिया गया है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध, यथा अधिसूचना के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट हैं, निजी कम्पनियों पर लागू नहीं होंगे अथवा निधियों की उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में यथाविनिर्दिष्ट अपवाद, आशोधन और अनुकूलन सहित लागू होंगे।

[Placed in Library. See No. LT 71/16/14]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Instrumentation Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 72/16/14]

(ii) Memorandum of Understanding between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 73/16/14]

(iii) Memorandum of Understanding between the Rajasthan Electronics and Instruments Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, for the year 2014-2015.

[Placed in Library. See No. LT 74/16/14]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Automotive Testing and R &D Infrastructure Project, New Delhi, for the year 2012-2013.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library. See No. LT 75/16/14]

-